सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 808 राँची, मंगलवार, 15 अक्टूबर, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

05 अगस्त, 2019

विषय:- पूर्वी सिंहभूम जिला में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के संचालन हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्यहित में मे0 अन्नामृता फाउण्डेशन (पूर्व नाम ISKCON Food Relief Foundation), जमशेदपुर का मनोनयन, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के साथ MOU प्रारूप की स्वीकृति एवं उक्त कार्य हेतु 19,00,000/- (रूपये उन्नीस लाख) की परिक्रामी राशि (Revolving Fund) उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या - खा. 02/मु.मं. कैं.यो. 01/2018 - 2377, -- विभागीय संकल्प संख्या-3150, दिनांक 20.07.2017 द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना किया गया है। झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्यहित में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोंपरान्त मे० टचस्टोन फाउण्डेशन को योजना का कार्य आवंटित किया गया है।

2. पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसांवा जिलान्तर्गत मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के संकल्प संख्या 348 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा ISKCON Food

Relief Foundation द्वारा पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसांवा जिले के विद्यालयों में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है । इस कार्य हेतु ISKCON Food Relief Foundation द्वारा मे0 टाटा स्टील लिमिटेड एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम के साथ MOU संपादित किया गया है ।

3. पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत मे० अन्नामृता फाउण्डेशन, जमशेदपुर (पूर्व नाम ISKCON Food Relief Foundation) पूर्व से संचालित Centralized Kitchen से कुल 21 वितरण केन्द्रों पर लाभुकों को भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

4. कंडिका-3 में वर्णित कार्य के निष्पादन हेतु खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा मे० अन्नामृता फाउण्डेशन, जमशेदपुर (पूर्व नाम ISKCON Food Relief Foundation) के साथ MOU किया जाना है, जिसका प्रारूप संलग्न है। उक्त MOU की अवधि पांच वर्ष की होगी। मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित MOU की अवधि को समीक्षोपरान्त विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त (बिना किसी संशोधन के) अगले पांच वर्षों के लिए विस्तारित किया जायेगा। MOU प्रारूप एवं संलग्न Annexures पर स्वीकृति प्राप्त है।

5. मुख्यमंत्री कैटीन योजना अन्तर्गत मे० अन्नामृता फाउण्डेशन, जमशेदपुर (पूर्व नाम ISKCON Food Relief Foundation) द्वारा लाभुकों को उपलब्ध कराये जाने वाला भोजन का मेन्यू की विवरणी का MOU में उल्लेख है । उक्त भोजन पर व्यय की विवरणी निम्न प्रकार है:-

Item	Amount	Cost escalation
(i) Cost of one meal	Rs. 20+GST	Inflation data के आधार पर मे० अन्नामृता फाउण्डेशन, जमशेदपुर (पूर्व नाम ISKCON Food Relief Foundation) के अनुरोध पर विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु0 1/- (एक रूपये) की बढ़ोतरी की जा सकेगी।
(ii) मे० अन्नामृता फाउण्डेशन, जमशेदपुर (पूर्व नाम ISKCON Food Relief Foundation) द्वारा लाभुक से वसूल की जाने वाली राशि (प्रति meal)	Rs. 10/-	विभाग समय समय पर इस राशि में बढ़ोतरी करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
(iii) राज्य सरकार द्वारा मे० अन्नामृता फाउण्डेशन, जमशेदपुर को भुगतान की जाने वाली अनुदान की राशि (प्रति meal) (Sl.No. i-ii)	Rs. 10/- +GST	क्रमांक-i एवं क्रमांक-ii में बढ़ोतरी की स्थिति में अनुदान की राशि में संशोधन होगा ।

6. पूर्वी सिंहभूम जिला में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के संचालन हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्यहित में मे० अन्नामृता फाउण्डेशन, जमशेदपुर (पूर्व नाम ISKCON Food Relief Foundation) का मनोनयन किया गया है।

7. मुख्यमंत्री कैंटीन योजना अन्तर्गत मे० अन्नामृता फाउण्डेशन, जमशेदपुर के द्वारा लाभुकों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा मे० अन्नामृता फाउण्डेशन, जमशेदपुर (पूर्व नाम ISKCON Food Relief Foundation) को रु0 19,00,000/- (उन्नीस लाख मात्र) की राशि परिक्रामी निधि (Revolving Fund) के रूप में दिया जायेगा। उक्त राशि MOU के terminate होने की स्थिति में मे0 अन्नामृता फाउण्डेशन, जमशेदपुर (पूर्व नाम ISKCON Food Relief Foundation) के द्वारा विभाग को वापस कर दी जायेगी।

8. राशि की निकासी बजट शीर्ष 3456-सिविल पूर्ति/उपशीर्ष-23-मुख्यमंत्री दाल-भात योजना/मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि 35.00 करोड़ है।

9. विभागीय संकल्प संख्या 3150, दिनांक 20.07.2017 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

10. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख संख्या-2150, दिनांक 22.07.2019 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 30.07.2019 की बैठक के मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

ह०/-

अमिताभ कौशल,

सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 808 -- 100